सं.ओ.वि./रोहतक/215-84/23455.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) परिवहन आयुक्त, हरियाणा, (2) जनरल मैनेजर हरियाणा रोडवेज, रोहतक, के श्रमिक श्री सत्य प्रकाश तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामल में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9441-1-श्रम-70/15254, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.-एस.-ओ.(ई) श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है :--

क्या श्री सत्य प्रकाश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं.ओ.वि./रोहतक/48-85/23463.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. मोहन स्पीनिंग मिल, रोहतक, के श्रमिक श्री ओम प्रकाश तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.-एस.-ओ.(ई)-श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है :--

क्या श्री ओम प्रकाश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

जे० पी० रतन,
उप-सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

शुद्धि-पत्र

दिनांक 17 जुलाई, 1985

सं. ओ.वि./एफ.डी./4-95/29636.--हरियाणा सरकार के अधिसूचना क्रमांक ओ.वि/एफ.डी/4-85/8520, दिनांक 5 मई, 1985 जो कि हरियाणा राज्य पत्रिका दिनांक 2 अप्रैल, 1985 के पृष्ट 983 पर छपा है में श्रमिक का नाम "त्रिलोक दास की बजाए" तारोक दास पढ़ा जाए।

जे. पी. रतन,

कृते : उप सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

दिनांक 11 जून, 1985

सं.ओ.वि./एफ.डी./25219.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. बाटा इण्डिया लि. फ़रीदाबाद के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है, ।

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा, इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधार (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित, औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा,

फ़रीदाबाद के नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामले हैं, अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामले हैं, न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

1. क्या संस्था के श्रमिक कैन्टीन में कुछ सुविधायें लेने के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण में ?

2. क्या फ़ेयर प्राईस शाप्स की वस्तुओं की कीमतें घटाने का कोई औचित्य है ? यदि हां, तो किस विवरण में ?

कुलवन्त सिंह,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग ।

दिनांक 14 जून, 1985

सं. ओ.वि./सोनीपत/18-85/25579.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. के.एस. एण्ड कम्पनी, ई/32, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया सोनीपत, के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा, इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ;

इस लिए अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित, औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फ़रीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामले हैं, अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामले हैं, न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

1. क्या सभी श्रमिक प्रत्येक वर्ष दो जोड़ी जूते, वर्दी दो जोड़ी तथा सर्दी के मौसम में बढ़िया जर्सी लेने के हकदार हैं ? यदि हां तो किस विवरण में ?

2. क्या सभी श्रमिक हाजरी कार्ड, आईडेन्टी कार्ड लेने के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण में ?

3. क्या जो कर्मचारी फैक्ट्री से बाहिर काम के लिये जाता है वह 20 रुपये डेली अलाऊंस लेने का हकदार है ? यदि हां, तो किस विवरण में ?

4. क्या जो कर्मचारी एडवांस की राशि लेता है, वह सबूत लेने का हकदार है ? यदि हां, तो किस विवरण में ?

5. क्या जिस कर्मचारी की 90 दिन हाजरी हो जाती है वह तुरन्त पक्का होने का हकदार है ? यदि हां तो किस विवरण में ?

एम. सेठ,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग ।

REVENUE DEPARTMENT

The 15th July, 1985

No. 336-Spl.Cell-85/21146.—Whereas it appears to the Governor of Haryana that the land desribed in the specification below is needed by the Government, at public expenses, for a public purpose, namely, for free allotment of residential plots to landless/homeless Harijans, members of backward classes and economically weaker persons in village Patuwas, Tehsil Dadri, District Bhiwani, it is hereby notified that the land desribed in the specification below is needed for the above purpose.

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 for the informationto all whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor of Haryana hereby authorisse the Collector, Bhiwani and such other officers, or officials, for the time being engaged in the undertaking to enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person interested who has any objection to the acquisition of the land in the locality, may, within a period of thirty days from the date of publication of this Notification, in the Official Gazette or in two news papers or publicity in the locality whichever is later, file an objection, if any, in writing before Sub-Divisional Officer (C)-cum-Land Acquisition Collector, Dadri.

Plans of the land may be inspected in the office of Sub-Divisional Officer (C)-cum-Land Acquisition Collector, Dadri, District Bhiwani.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Locality/ Village & Hadbast No.	Rectangle No./ Khasra Nos.	Area	
				K.	M.
Bhiwani	Dadri	Patuwas, 167	33/6	8	0
			7/1	2	4
			7/2	5	4
			14/1	3	1
			14/3	2	3
			15	8	0
			Total :—	28	12

L. C. GUPTA,

Secretary to Government, Haryana,
Revenue Department.

राजस्व विभाग

दिनांक 15 जुलाई, 1985

सं० 336-वी० सैल-85/21146.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि, सरकार द्वारा सरकारी खर्चे पर सार्वजनिक प्रयोजन, अर्थात् गांव पातुवास, तहसील दादरी, जिला भिवानी में भूमिहीन/बेघर हरिजनों, पिछड़े वर्ग के सदस्यों तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को मुफत रिहायशी भू-खन्ड (प्लाट) आबंटित करने के लिए अपेक्षित हैं, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध है।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल कलक्टर, भिवानी तथा ऐसे अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों को जो इस समय इस कार्य में लगे हैं उक्त परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं।

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे परिक्षेत्र में भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन या दो समाचार-पत्रों में या उस परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से, इनमें जो भी बाद में हो, से तीस दिन की अवधि के भीतर उप-मन्डल अधिकारी (नागरिक) एंव भूमि अर्जन कलैक्टर, दादरी के सम्मुख लिखित रूप में आक्षेप, यदि कोई हो, दायर कर सकता है।

भूमि के नक्शों का निरीक्षण उप-मन्डल अधिकारी (नागरिक) एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, दादरी, जिला भिवानी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

विशिष्टियां

जिला	तहसील	परिक्षेत्र/गांव तथा हदबस्त संख्या	आयत सं०/खसरा संख्या	क्षेत्रफल	
				कनाल	मरले
भिवानी	दादरी	पातुवास	33/6	8	0
			7/1	2	4
			7/2	5	4
			14/1	3	1
			14/3	2	3
			15	8	0
			कुल जोड़	28	12

एल० सी० गुप्ता,
सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।

AGRICULTURE DEPARTMENT

The 16th July, 1985

No. 3386-Agri.II(2)-85/11370.—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Land Acquisition Act, 1894, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby withdraws from the acquisition, the land at Behrampur (Bopoli), Tehsil Panipat, District Karnal with respect to which Haryana Government, Agriculture Department, notification No. 1790-Agri.II(II)-84/16218, dated 13th December, 1984 was issued under sectio 4 of the said Act and declaration under section 6 thereof was made with Haryana Government, Agriculture Department notification No. 1790-Agri.II(2)-84/16222, dated 13th December, 1984.

M. K. MIGLANI,
Commissioner and Secretary to Goverment,
Haryana, Agriculture Department,

कृषि विभाग

दिनांक 16 जुलाई, 1985

संख्या 3386-कृषि-II (2)-85/11370.—भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 48 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस में निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, जीन्द, तहसील जीन्द, जिला जीन्द में जिसके बारे में उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन हरियाणा सरकार, कृषि विभाग अधिसूचना संख्या 1790—कृषि—II(2)—84/16218 दिनांक 13 दिसम्बर, 1984 जारी की गई जिस की धारा 6 के अधीन हरियाणा सरकार, कृषि विभाग अधिसूचना संख्या 1790-कृषि—II(2)—84/16222, दिनांक 13 दिसम्बर, 1984 द्वारा घोषणा की गई थी, अर्जन से प्रत्याहृत करते हैं ।

चण्डीगढ़, दिनांक
5 जुलाई, 1985 ।

एस० के० मिगलानी,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि विभाग ।